प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.01.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 29.01.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. मोन्टी पुत्र संजय निवासी नीरज का मकान कैप्टन मार्केट राजवीर कॉलोनी थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष व 2. विकास पुत्र अनेक पाल निवासी नहर की पटरी गली नं0 12 राजवीर कॉलोनी थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास खोडा से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों व्यक्तियों ने यह स्कूटी दिल्ली से 5-6 महीने पहले चोरी की थी। इसीक्रम आज दोनों अभियुक्त खोडा में चोरी करने के इरादे से रैकी करने जा रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मोन्टी पुत्र संजय निवासी नीरज का मकान कैप्टन मार्केट राजवीर कॉलोनी थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
2. विकास पुत्र अनेक पाल निवासी नहर की पटरी गली नं0 12 राजवीर कॉलोनी थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त मोन्टी उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के सम्बन्ध में गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त विकास उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के सम्बन्ध में गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 242000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का विवरण

दिनांक 19.01.2026 को आवेदक राजेश गोयल निवासी-2 सी/56 नेहरू नगर थाना सिहानीगेट कमि0 गाजियाबाद द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत स0-33101260014709 दर्ज की गयी, जिसमे आवेदक राजेश उपरोक्त के क्रेडिट कार्ड से 242000/- रुपये का फ्राड हुआ व आवेदक द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गयी।

कार्यवाही का विवरण

साइबर सेल टीम द्वारा आवेदक राजेश की शिकायत स0-33101260014709 पर कृत कार्यवाही कर आवेदक के रूपये जिस मर्चेंट खाते मे गये उसे होल्ड कराया गया व दिनांक 29.01.2026 को 242000/- रुपये वापस कराये गये व आवेदक द्वारा साइबर सेल थाना सिहानीगेट कमि0 गाजियाबाद का आभार प्रकट किया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल टीम थाना सिहानीगेट कमि0 गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रायस के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 26.10.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई अभियुक्तगण 1. कमल धामा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी बागराणंप लोनी गाजियाबाद मूल पता पावला जिला बागपत उम्र करीब 39 वर्ष 2.संदीप नागर पुत्र महेन्द्र निवासी बागरांणप थाना लोनी गाजियाबाद 3.कृष्ण भाटी पुत्र धुनी भाटी निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी का रास्ता रोककर धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला करना जिससे वादी के काफी चोटें आना व धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/131/352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 28.01.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कमल धामा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी बागराणंप लोनी गाजियाबाद मूल पता पावला जिला बागपत उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा वादी से किसी बात को लेकर झगडा हो गया था जिस कारण हमने वादी का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था जिससे वादी के चोट लग गयी थी और हम धमकी देकर मौके से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कमल धामा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी बागराणंप लोनी गाजियाबाद मूल पता पावला जिला बागपत उम्र करीब 39 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन-2" के अंतर्गत 28 माल मुकदमाती व सीज वाहनों का निस्तारण (नीलामी) किया गया तथा आबकारी अधिनिमय से सम्बन्धित 55 मुकदमों में जब्त अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया।

दिनांक- 28.01.2026 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-04 गाजियाबाद दिनांकित 09.12.2025 के आदेश के क्रम में थाना मसूरी पर मालमुकदमाती की नीलामी व जब्त अवैध शराब के नष्टीकरण हेतु गठित कमेटी (श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी व सम्भागीय परिवहन अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक मसूरी/ मालखाना इंचार्ज) के समक्ष थाना मसूरी पर दाखिल मालमुकदमाती व सीज शुदा वाहनों का निस्तारण (नीलामी) की गयी जिसमें भारी वाहन-01 दो पहिया-23, चार पहिया-03, तीन पहिया-01, कुल 28 वाहनों का निस्तारण (नीलामी) किया गया। नीलामी की प्रकिया के दौरान कुल 27 बोलदाताओं ने बोली लगायी गयी। सर्वाधिक बोली 375000/- रुपये की लगी। नीलामी की प्रकिया सम्पन्न करायी गयी है, नीलामी से प्राप्त धन को मालखाना में जमा किया जायेगा एवं आबकारी अधिनियम के 55 अभियोगों से सम्बन्धित दाखिल मालमुकदमाती अवैध शराब की करीब 750 पेटी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रूपये को जीसीबी मशीन द्वारा गढ्ढा खुदवाकर गढ्ढे में दबा कर नष्ट कराया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की KIA SONET कार व पाइप रिंच बरामद।

दिनांक 24.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि दिनांक 19.01.2026 की रात्रि मे आदर्श कालोनी बिहारीपुरा से किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की कार KIA SONET रंग काला रजिस्ट्रेशन

नम्बर UP25EM2833 को चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया तथा मैनुअल इन्पुट्स के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

आज दिनांक 29.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त कादिर उर्फ आदिल पुत्र मजहर अली उर्फ बबलू निवासी कटरा पठानान शाही मस्जिद के पास फिरोजाबाद हाल पता भूरा युनुस के मकान मे किराये पर ग्राम जलपुरा थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चित्रावन सोसायटी से क्रॉसिंग गोल चक्कर के बीच थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित बिना नम्बर प्लेट की KIA SONET कार व उक्त कार से सम्बन्धित 02 टूटी हुई नम्बर प्लेट रजि0 UP25EM2833 व कार को चोरी करने का उपकरण पाइप रिंच बरामद हुआ अभियुक्त से चोरी की कार बरामद होने के सम्बन्ध मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं पूर्व मे नोएडा, इलाहाबाद, फिरोजाबाद व आगरा आदि जगह से जेल जा चुका हूं तथा अभी 03 महीने पहले ही आगरा जेल से छूटकर आया था, मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नही थे, जिस कारण मै चोरी की तलाश मे घुम रहा था तथा करीब 10 दिन पहले मैने आदर्श कालोनी बिहारीपुरा से यह कार जो मुझसे बरामद हुई है को चोरी किया था, पुलिस से बचने के लिए उसकी नम्बर प्लेट को हटा दिया था, इस गाडी को मैं बेचने की फिराक मे था कि उससे पहले पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम व पता

कादिर उर्फ आदिल पुत्र मजहर अली उर्फ बबलू निवासी कटरा पठानान शाही मस्जिद के पास फिरोजाबाद हाल पता भूरा युनुस के मकान मे किराये पर ग्राम जलपुरा थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना चन्दौसी सम्भल पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना न्यू आगरा पर चोरी/अवैध अस्लाह से सम्बन्धित 04 अभियोग, थाना शाहगंज आगरा पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना सिकन्द्रा आगरा पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना सिकोहाबाद फिरोजाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना फिरोजाबाद साउथ फिरोजाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 14 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की KIA SONET कार रंग काला व उक्त कार से सम्बन्धित 02 टूटी हुई नम्बर प्लेट रजि0 UP25EM2833 व कार को चोरी करने का उपकरण पाइप रिंच।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध द्वारा सर्किल कविनगर के थाना कविनगर में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का विवेचकवार आयोजन कर थाना कविनगर का निरीक्षण किया गया ।

दिनांक 28.01.2026 को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्री केशव कुमार चौधरी महोदय द्वारा सर्किल कविनगर के थाना कविनगर में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का विवेचकवार आयोजन किया गया जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर एवं प्रभारी निरीक्षक कविनगर तथा सम्बन्धित थानों के विवेचक मौजूद रहे ।

थाना निरीक्षण के प्रमुख बिन्दुः-

- महोदय द्वारा थाना परिसर व कार्यालयों का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई कार्यालय थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केन्द्र, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, CCTN कक्ष, मालखाना आदि को चेक किया गया।
- निरीक्षण के दौरान महिला उत्पीड़न रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर अभिलेखों को अध्यावधिक रखने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने तथा शिकायत के सम्बन्ध में थाना प्रभारी के द्वारा फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए।
- इस दौरान 06 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं की साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने एवं विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सम्मन/वारण्टों का अधिक से अधिक तामीला कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गए है।
- सक्रिय गैंग और पुरस्कार घोषित गैंगस्टर में वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये।
- गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।
- विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिये गए है।
- थाना कविनगर के मिशन शक्ति केन्द्र के रजिस्टरों आदि की समीक्षा की गयी।

- थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि जनशिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण समय से निरस्तारण कराना सुनिश्चित करें एवं पीडितों से इस सम्बन्ध में फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया।
- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध महोदय द्वारा शासन की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए है साथ ही पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में पूर्ण अनुशासन बनाये रखते हुए कर्तव्य पालन किये जाने के निर्देश दिए गए है।

निरीक्षण के समय थाना प्रभारी सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, रात्रि गश्त एवं बीट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आमजन से संवेदनशील एवं शालीन व्यवहार बनाए रखने पर विशेष बल दिया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।